

# न्यायालय अपर समाहर्ता, खूंटी।

## In The Court of Additional Collector, Khunti


अनुसूची - 14 फॉर्म नं० 562  
Schedule - Form No. 562

### आदेश पत्रक

### ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129  
Record Manual 1941 Rule 129

क्र० एवं खीणन वाद सं०: २५२१५ वर्ष २०१२ धारा.....  
.....Case No.....Year.....Section.....  
अपीलकर्ता / प्र० प०/आवेदक प्रतिवादी /दि०प०/विपक्षी  
Appellant / F.P./Petitioner सीताराम मन्नावाल कर्म प्रमल कुमार Respondent / S.P./ O.P.

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./ Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
२६.०९.१२	प्रस्तुत खीणन-वाद सीताराम मन्नावाल पे स्व. रामधन मन्नावाल खातिर- डकुडू पिपराहोली ग्राम-खूंटी जिला-खूंटी मे भूमि सुधार दप समाहर्ता खूंटी के-याकायम के दखिल खारज अपील नं० ०१/२०१०-११ मे दिनांक २१-०७-१२ के पारित आदेश के निरुद्ध दायर किया गया है। जिसमे के लिए समाहर्ता के अतिरिक्त दखिल किया गया है। दारिवाला खिन्दु पर सुरवाई हेतु अभिलेख दिनांक-०३.१०.१२ को रखा। 	
०३.१०.१२	अपीलकर्ता के अधिकारता द्वारा उपस्थिति की गयी है। अपर समाहर्ता अन्य कार्य में व्यस्त है। दिनांक-३१.१०.१२ को रखा।	

आदेश क्रमांक /दिनांक Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई दिनांक सहित Action taken on order with date
1	2	3
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक - 332/रां. दिनांक दिनांक - 24-01-20 के द्वारा प्रविष्टित है The Bihar Tenant's Holding (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector भगवा Deputy collector को है।</p> <p>भग. उक्त निमन में भगैर कारवाई / सुनवाई उपामुक्त सूची के माध्यम से हस्तांतरित करे।</p> <p>1-7-2020</p> <p>अपर समाहर्ता सूची।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर समाहर्ता सूची के माध्यम से हस्तांतरित होकर प्राप्त है अभिलेख पर भगैर कारवाई के बाद सूची में संशोधन कर, पत्रकारों को सूचना प्रेषित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक - का रक)</p>	